

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन साँकरिया

मिसल नम्बर  
60/2025 प्रा.पत्र/2025

तारीख दायरा  
18.06.2025

आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
14.08.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि  
नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री रमेश कुमार खत्री पुत्र श्री सोभाराम खत्री निवासी गली नं0 4 रेलवे कॉसिंग चौखुटी  
बीकानेर एफ.बी.ओ. मैसर्स चंचल आईसकेण्डी राजीव नगर इण्डियन बैंक के पास जमात  
निवाई जिला टोंक । पिनकोड-304021 मोबाईल नं. 9982927222

2-मैसर्स चंचल आईसकेण्डी राजीव नगर इण्डियन बैंक के पास जमात निवाई जिला टोंक।  
पिनकोड-304021

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)  
की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51(सहपठित धारा 49)

उपरिथत-

- 1-पेरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी श्री रमेश कुमार खत्री स्वयं उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 14/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
दिनांक 22.04.2025 को समय 03:30 पी.एम. पर मैसर्स चंचल आईसकेण्डी राजीव नगर  
इण्डियन बैंक के पास जमात निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं  
विक्रेता की हैसियत से श्री रमेश कुमार खत्री पुत्र श्री सोभाराम खत्री अपने प्रतिष्ठान मैसर्स  
चंचल आईसकेण्डी राजीव नगर इण्डियन बैंक के पास जमात निवाई जिला टोंक पर खाद्य  
पदार्थ का कारोबार करते हुए उपरिथत मिला। श्री रमेश कुमार खत्री पुत्र श्री सोभाराम खत्री  
को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रमेश कुमार खत्री पुत्र श्री  
सोभाराम खत्री ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य  
अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम  
जनता को विक्रय हेतु कुल्फी, आईसक्रीम व बर्फ के साथ-साथ दुकान/प्रतिष्ठान के डीप  
फ्रीजर में लगभग 1500 नग कुल्फी आम जनता के विक्रय हेतु रखी हुई थी, जिसे खाद्य  
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर  
मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री रमेश कुमार खत्री पुत्र श्री  
सोभाराम खत्री को फार्म नं. 5 ए में वारंटे नमूना क्व करणे हेतु नोटिस देकर नोटिस की  
रसीद प्राप्त/श्री एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में



.....  
प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

विक्रेता श्री रमेश कुमार खत्री पुत्र श्री सोभाराम खत्री व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि दुकान के डीप फ्रीजर में लगभग 1500 नग कुल्फी में से लगभग 50 नग कुल्फी कुल मात्रा 1200 ग्राम वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा कुल्फी 1200 ग्राम को प्लास्टिक की साफ व सूखी 4 शिशीयों में प्रत्येक शिशी में 300-300 ग्राम कुल्फी (लो ग्रेड फैंट) अलग-अलग शिशीयों में भरकर, प्रत्येक शिशी में बतौर परिरक्षित प्रत्येक शिशी में 40 प्रतिशत वाली फार्मेलिन की 24-24 बूंदे डालकर अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रूप करके, शिशीयों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4359 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4359 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/555 दिनांक 12.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /1629/एक्ट/2025/1648 दिनांक 01.05.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया कुल्फी खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Substandard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र कुछ मानकों पर अन्तर होने की वजह से उक्त नमूना अवमानक स्तर स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।




  
भातिरेक्त जिला माजिस्ट्रेट  
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस कुल्फी का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Substandard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है। इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया कुल्फी का नमूना जांच में अवमानक (Substandard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक...14/8/25...को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



  
(रामरतन सौंकरिया)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, -  
टोंक